05.09.24

अधिवक्ता वादी उप वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी का जीवनी आदेशों तक नहीं करवाई है वादी अधिवक्ता का दिनांक 14.06.24 को आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही करने की दरखास्त दी गई थी परन्तु वादी अधि. ने प्रतिवादी को की एक भी नोटिस सम्मन / तामील नहीं किये अतः प्रकरण के आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है प्रार्थना स्वीकार हो प्रार्थना की दायर परिवाद के हक के बाद की तारीख की सूचना शामिल है